

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025

दिनांक 13/02/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 12.02.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर हिंदू धर्म के आराध्य प्रभु श्री राम पर अभद्र टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द बिगाडने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना रेवतीपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.02.2025 को थाना रेवतीपुर पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया साइट Instagram पर अपनी आईडी attitude-boy-00784 से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विरुद्ध गालियां एवं अभद्र टिप्पणी करने को लेकर की गयी अभद्र टिप्पणी (जिसका सोशल मीडिया पर वायरल था) के संबंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 25/2025 धारा 299,353(2) बीएनएस पंजीकृत कर अभियुक्त जीतू पुत्र रामनरायण राम निवासी उधरनपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र 18 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. जीतू पुत्र रामनरायण राम निवासी उधरनपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर उम्र -18 वर्ष

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर